

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 78/2022
अनवान : –

1. बाबुखां पुत्र रावतखां जाति कायमखानी साकिन दीपलाना तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थी
राजपेरोकार

निर्णय

दिनांक: 16/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 78/85 की कुल 21.0910 हैक्ट भूमि में से 4220/21091 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बल्लुखों पुत्र रावतखों दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम बाबुखां पुत्र रावतखां है जो अन्य राजस्व रिकार्ड रोही मौजा 22 डीपीएन के खाता स0 45/39 में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बल्लुखों पुत्र रावतखों के स्थान पर बाबुखां पुत्र रावतखां दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नहीं होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बल्लुखों पुत्र रावतखों दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम बाबुखां पुत्र रावतखां है जो अन्य राजस्व रिकार्ड रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 78/85 की कुल 21.0910 हैक्ट भूमि में से 4220/21091 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।


Rahul
अधीक्षक
नोहर

इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बल्लुखों पुत्र रावतखों के स्थान पर बाबुखां पुत्र रावतखां दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर के खाता स0 78/85 की कुल 21.0910 हैक्ट भूमि में से 4220/21091 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बल्लुखों पुत्र रावतखों दर्ज है एवं प्रार्थी अपना नाम बल्लुखों पुत्र रावतखों के स्थान पर बाबुखां पुत्र रावतखां दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी के नाम अन्य वाद भूमि 22 डीपीएन में प्रार्थी का नाम बाबुखां पुत्र रावतखां है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है रोही मौजा ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर के खाता स0 78/85 की कुल 21.0910 हैक्ट भूमि में से 4220/21091 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थी का नाम बल्लुखों पुत्र रावतखों के स्थान पर बाबुखां पुत्र रावतखां का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाता है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक16/03/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।


(राहुल श्रीवास्तव L.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर